(राजस्थान–सरकार)

प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवं अति0 जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रथम अपील संख्या :– 17/2025

पंजीकरण संख्या :– 2025/75

बउनवान

श्री रघुवीर मेहता निवासी स्टेट बैंक के पास, केलवाडा तहसील शाहबाद जिला बारॉ (राज.) पिन कोड –325216 मो.नं. 9983846350

(अपीलार्थी)

बनाम

लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद जिला बारां

(प्रत्यर्थी)

प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1)

निर्णय दिनांक 16.09.2025

प्रस्तुत प्रथम अपील इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा दिनांक 07.07.2025 को लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सूचना चाही गई थी, जो निम्नानुसार है :–

ग्राम नारायणखेडा के खसरा नम्बर 150 के पिछले 11 वर्षो की पी–14 की प्रमाणित नकल की प्राप्ति हेतु आवेदन किया गया। परन्तु तहसील कार्यालय से कोई सूचना जवाब नही आया।

अपीलार्थी को उक्त सूचना उपलब्ध नहीं करवाने पर उसके द्वारा प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत विरूद्व (प्रत्यर्थी) लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद के विरूद्व पेश कर निवेदन किया कि प्रथम आवेदन–पत्र में चाही गई सूचना उपलब्ध करावें।

इस पर प्रस्तुत प्रथम अपील को दिनांक 19.08.2025 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रत्यर्थी लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 715–717 दिनांक 21.08.2025 से तलब कर, प्रस्तुत अपील मेमो की छायाप्रति भिजवाई जाकर जवाब तलब किया गया तथा अपीलार्थी को भी जरिये रजिस्टर्ड सम्मन क्रमांक 715–717 दिनांक 21.08.2025 से तलब किया गया।

अपीलार्थी बावजूद सूचना के न्यायालय में अनुपस्थित रहा है। लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक/भू.अ./2025/2836 दिनांक 16.09.2025 से जवाब इस न्यायालय में भिजवाते हुए, अवगत करवाया गया कि :–

Signature Not Verified
Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:18 IST
Reason: SelfAttested

ग्राम नारायणखेडा की खसरा नम्बर 150 की पी–14 (खसरापरिवर्तनशील) की नकल चाही गई थी मुताबिक रिपोर्ट नायब तहसीलदार केलवाडा उपलब्ध रिकार्ड अनुसार नकल तैयार कर प्रार्थी को दिनांक 10.09.2025 को उपलब्ध करवा दी गई है। जो सम्वत् 2064 से 2075 तक चाही गई थी। जीर्ण शीर्ण व असपठित रेकार्ड की नकल नही बनाई जा सकती।

अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद से अपील के प्राप्त जवाब का अवलोकन किया गया, जिससे पाया गया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना के संबंध में लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद द्वारा अपीलार्थी को सूचित किया जाकर कार्यालय मे उपलब्ध रेकार्ड की नकल तैयार कर उपलब्ध करवा दी गई है।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19(1) के तहत खारिज की जाती है। इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की सत्य प्रतिलिपि अपीलार्थी को एवं लोक सूचना अधिकारी, तहसीलदार, शाहबाद को रजिस्टर्ड डाक से सूचनार्थ भिजवाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 16.09.2025 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर,
बारॉ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divanshu Sharma
Date: 2025.10.01 19:09:18 IST
Reason: SelfAttested